न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 40/2021
दायर दिनांकः 06.12.2021
निर्णय दिनांक 06.06.2025

—: अनवान :—

1. सुजावत समाज मण्डला, भीम जरिये अध्यक्ष गोपालसिंह पिता डूंगरसिंह जी जाति रावत उम्र 58 वर्ष निवासी बस स्टेण्ड भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द
2. सुजावत समाज मण्डला, भीम जरिये प्रतिनिधि/पूर्व अध्यक्ष डाउसिंह पिता अजमालसिंह जाति रावत, उम्र 74 वर्ष निवासी पड़ाव भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द — **निगराकार**

बनाम

1. ग्राम पंचायत भीम जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द
2. पांचावत समाज मण्डला भीम, जरिये अध्यक्ष पांचावत समाज मण्डला भीम, तहसील भीम जिला राजसमन्द — **गैर निगराकार**

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 पट्टा विलेख संख्या 6 पुस्तक संख्या 13 दिनांक 01.06.2017 जारी द्वारा ग्राम पंचायत भीम से व्यथित होकर

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— श्री, अब्दुल हकीम चुडीघर अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 01
3— श्री श्यामसुन्दर पालीवाल अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 02

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 6 दिनांक 01.06.2017 जारी द्वारा ग्राम पंचायत भीम से व्यथित होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भीम में स्थित आराजी नम्बर 10515/9900 रकबा 110.04 बीघा बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि स्थित है. जिसमें से विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में निगराकार समाज की बनी हुई धर्मशाला का पट्टा विलेख जारी किया गया है जिसके चतुर्दिशा पड़ौस व नाप निम्न प्रकार हैः— पूर्व नाप 32 फीट, पड़ौस मण्डला समाज की दुकानें, पश्चिम नाप 32 फीट, पड़ौस सड़क गली रास्ता, उत्तर नाप 24 फीट, पड़ौस सडक गली रास्ता, दक्षिण नाप 24 फीट, पड़ौस मियाराम का मकान कुल क्षेत्रफल 768 वर्गफीट है जिससे व्यथित होकर यह निगरानी याचिका इन आधारों पर प्रस्तुत है कि

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधीनस्थ ग्राम पंचायत, भीम द्वारा जारी पट्टा विधि के विपरीत है। ग्राम पंचायत भीम द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में त्रुटि कारित की है। ग्राम पंचायत भीम द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए यह पट्टा केवल अपने मिलने वाले व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जारी किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत ने एक ही दिन में सारी कार्यवाही पूरी कर दी है और विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया है। दिनांक 01.06.2017 को ही आवेदन किया गया है तथा प्रस्तुत किये गये आवेदन पर प्रकरण उसी दिन दर्ज कर दिया गया। उसी दिन आपत्ति आव्हान पत्र एवं निर्णय पत्र जारी करना बताया है। पंचायत की आदेशिका में सम्पूर्ण कार्यवाही एक ही दिन में दिनांक 01.06.2017 को ही सम्पादित की गई है। दिनांक 01.06.2017 को ही प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होता है और पंचायत द्वारा उसी दिनांक को मिसल कायम कर पट्टा जारी करने का निर्णय कर दिया जाता है। सारी कार्यवाही एक ही दिन में ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित कर दी गई है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने में पंचायती राज अधिनियम के तहत बनाये गये नियम 1996 के नियम 146, 148, 157 की लेशमात्र भी पालना नहीं की है और उक्त पट्टा जारी कर दिया गया है जो अवैध व विधि के विपरीत है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आवेदन पत्र पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं करवाई गई है। पटवारी हल्का की कोई रिपोर्ट भी इस भूमि के संबंध में नहीं ली गई है। सम्पूर्ण पत्रावली में पटवारी हल्का से कहीं भी हस्ताक्षर व रिपोर्ट नहीं है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा भूमि की आबादी होने का सत्यापन कराये बगैर ही यह पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करने में किसी भी नियम की पालना नहीं की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट का कॉलम पूर्ण रूप से खाली है और उस पर कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है। इसी प्रकार आपत्ति आव्हान पत्र भी मूल रूप से ही पत्रावली में मौजूद है। पंचायत की आदेशिका भी एवं कार्यवाही भी सारी एक ही दिन में सम्पादित कर दी गई है। ऐसी स्थिति में उक्त जारी किया गया पट्टा न केवल अवैध व विधि विरूद्ध है बल्कि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से परे हैं। निगराकार समाज सुजावत समाज की यह धर्मशाला 130 वर्ष पुरानी बनी हुई है। मेवाड़ गवर्नमेन्ट के समय से इस धर्मशाला का उपयोग न केवल समाज वाले बल्कि आम राहगीर भी इसका रूकने, ठहरने, आराम करने के लिये करते चले आ रहे हैं तथा यह धर्मशाला निगराकार समाज की होने की पुष्टि भी ग्राम पंचायत द्वारा निगराकार समाज के पक्ष में इस धर्मशाला के पूर्व दिशा में बनी हुई दुकानों का जो पट्टा दिनांक 05.07.2010 को पट्टा संख्या 48 पुस्तक संख्या 25 के जरिये जारी किया गया है. उक्त दुकानों के पश्चिम में यह धर्मशाला बनी हुई है। ऐसी स्थिति में निगराकार समाज की बनी हुई धर्मशाला का पट्टा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया है. वह अवैध व विधि विरूद्ध है। निगराकार समाज की बनी हुई दुकानों के पश्चिम में यह धर्मशाला स्थित है। समाज की बनी हुई दुकानों को समाज द्वारा सोहनलाल को एवं ओमसिंह को किराये पर प्रदान कर रखी है और जिसका किराया प्राप्त होने पर इसका खर्च समाज के सार्वजनिक उपयोग एवं इस धर्मशाला के मरम्मत रखरखाव हेतु किया जाता है। ग्राम पंचायत ने जब निगराकार समाज की दुकानों का पट्टा जारी किया था उसमें भी पश्चिम दिशा में धर्मशाला होना उल्लेख किया गया है और मौके पर आज भी धर्मशाला स्थित होकर संचालित हो रही है। ग्राम पंचायत ने बिना मौका देखे ही विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में धर्मशाला की भूमि के स्थान पर मकान का पट्टा जारी कर दिया है। जो अवैध व विधि विरूद्ध है। मौके पर धर्मशाला बनी हुई है उसके स्थान पर यह मकान का पट्टा जारी कर दिया गया है जो स्पष्ट रूप से फर्जी एवं कूटरचित रूप से ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव, सरपंच एवं विपक्षी संख्या 2 की मिलीभगत से जारी किया गया है जो प्रारम्भ से ही अवैध शून्य होकर इसे निरस्त किया जाना आवश्यक हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा विपक्षी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि का पट्टा निगराकार समाज के पक्ष में जारी करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा ग्राम पंचायत भीम से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी परन्तु पत्रावली अप्राप्त। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल हकीम चुडीघर ने उपस्थिति दी तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसुन्दर पालीवाल उपस्थित हुए।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कि राजस्व ग्राम भीम में स्थित आराजी नम्बर 10515/9900 रकबा 110.04 बीघा बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि स्थित है. जिसमें से विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में निगराकार समाज की बनी हुई धर्मशाला का पट्टा विलेख जारी किया गया है अधीनस्थ ग्राम पंचायत, भीम द्वारा जारी उक्त पट्टा विधि के विपरीत है। ग्राम पंचायत भीम द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में त्रुटि कारित की है। ग्राम पंचायत भीम द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए यह पट्टा केवल अपने मिलने वाले व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जारी किया है। ग्राम पंचायत ने एक ही दिन में सारी कार्यवाही पूरी कर दी है और विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में पंचायतीराज नियमावली में विहित नियमों की पालना नही की गयी है। मौके पर निगराकार समाज सुजावत समाज की धर्मशाला 130 वर्ष पुरानी बनी हुई है। मेवाड़ गवर्नमेन्ट के समय से इस धर्मशाला का उपयोग न केवल समाज वाले बल्कि आम राहगीर भी इसका रूकने, ठहरने, आराम करने के लिये करते चले आ रहे हैं तथा यह धर्मशाला निगराकार समाज की होने की पुष्टि भी ग्राम पंचायत द्वारा निगराकार समाज के पक्ष में इस धर्मशाला के पूर्व दिशा में बनी हुई दुकानों का जो पट्टा दिनांक 05.07.2010 को पट्टा संख्या 48 पुस्तक संख्या 25 के जरिये जारी किया गया है. उक्त दुकानों के पश्चिम में यह धर्मशाला बनी हुई है। ऐसी स्थिति में निगराकार समाज की बनी हुई धर्मशाला का पट्टा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया है. वह अवैध व विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत ने बिना मौका देखे ही विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में धर्मशाला की भूमि के स्थान पर मकान का पट्टा जारी कर दिया है। जो अवैध व विधि विरूद्ध है। मौके पर धर्मशाला बनी हुई है उसके स्थान पर यह मकान का पट्टा जारी कर दिया गया है जो स्पष्ट रूप से फर्जी एवं कूटरचित रूप से ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव, सरपंच एवं विपक्षी संख्या 2 की मिलीभगत से जारी किया गया है जो प्रारम्भ से ही अवैध शून्य होकर इसे निरस्त किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि का पट्टा निगराकार समाज के पक्ष में जारी करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत भीम ने विधिवत कार्यवाही कर गैर निगराकार संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया हैं। निगराकार को उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टेण्डाई नही है। अतः निगराकार की निगरानी याचिका खारिज फरमाई जावें।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। निगराकार द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत की प्रमाणित पट्टा पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा पांचावत समाज मण्डला भीम को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टे में पंचायत के संकल्प संख्या 1 दिनांक 01.06.2017 की पालना में उक्त पट्टा जारी करने का उल्लेख हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) मे **"जहां व्यक्ति आबादी भूमि मे पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक है उन्हे निर्धारित शुल्क लेकर पट्टा जारी किया जा सकता है राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.01.2010 व 01.01. 2013 के अनुसार आबादी भूमि मे पुराने गृहो का पट्टा देने से पूर्व स्थल निरीक्षण किया जाना एवं पुराने गृह का विद्यमान होना आवश्यक है"** ग्राम पंचायत की प्रमाणित पट्टा पत्रावली के अवलोकन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा संधारित आज्ञाओं की सूची मे न तो दिनांक अंकित है और न ही पंचायत की बैठक की दिनांक का अंकन किया गया है। प्रार्थी द्वारा पट्टे के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक का अंकन नहीं किया गया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र स्टाम्प पर नहीं है, न ही नोटरी से सत्यापित करवाया गया है। पत्रावली में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त भूखण्ड के 30 वर्ष/50 वर्ष पुराने गृह के निर्मित होने बाबत कोई साक्ष्य अंकित नही किये गये एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में दिनांक का अंकन भी नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति आव्हान पत्र कब जारी किया गया उसकी कोई दिनांक अंकित नहीं की गयी। और उसके चस्पादगी एवं किस माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया गया, इस बाबत भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना नही की गई, न ही विधिवत आपत्ति आमंत्रण करके ग्राम पंचायत की कोरम में पट्टा जारी करने बाबत निर्णय किया गया। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा जारी आक्षेपित पट्टा विधि अनुरूप नही होने से खारिज योग्य हैं। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6 दिनांक 01.06.2017 को निरस्त किया जाता है।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 06.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)